

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन-682009 CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार स्विधा TRADE FACILITY NO. 15/2017

विषय :

नौवहन लाइनों द्वारा ईजीएम की मैनुअल फाइलिंग - जुलाई महीने के दौरान किए

गए निर्यातों पर चुकाए गए समेकित वस्तु एवं सेवा कर की वापसी- संबंधित।

Subject:

Manual Filing of EGM by shipping lines- Refund of Integrated Goods and Services Tax paid on exports made during the

month of July-reg.

निर्यातकों, आयातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, स्टीमर एजेंटों और सभी अन्य पणधारियों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर विशेष सचिव एवं सदस्य, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीवीईसी) के पत्र DOF NO.450/119/ 2017-Cus.IV दिनांक 25 अक्तूबर, 2017 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of Exporters, Importers, Customs Brokers, Steamer Agents and all other stakeholders is drawn to the letter DOF NO.450/119/2017-Cus.IV dated 25<sup>th</sup> October 2017 from the Special Secretary & Member, Central Board of Excise & Customs (CBEC) on the captioned subject (copy enclosed).

2. उपर्युक्त अ.शा. पत्र के तहत विशेष सचिव एवं सदस्य, सीबीईसी से यह पाया कि जुलाई, 2017 महीने के लिए आईजीएसटी धनवापसी मंजूरी प्रदान करने में बाधा पहुंचाने वाले कारणों में एक, अंतर्क्षेत्र के आईसीडी/सीएफएस से आने वाले निर्यात कारगों के लिए शिपिंग लाइनों (एसएल) द्वारा एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट (ईजीएम) को मैनुअल रूप से फाइल करना है। इस प्रक्रिया से अभी तक कोई बाधा नहीं पहूंची क्योंकि आईसीडी/सीएफएस के मामले में शुल्कवापसी का वितरण ट्रेन समरी रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था।

Vide the above D.O letter, the Special Secretary & Member, CBEC has observed that filing of manual Export General Manifests (EGMs) by Shipping Lines (SL) for export cargo emanating from ICDs / CFSs in the hinterland is the main reason among various other issues that are hindering the sanction of IGST refunds for the month of July, 2017. The practice has not caused any disruption

until now, on account of drawback disbursal in the case of ICD/CFS used to be disbursed on the basis of train summary report.

3. जीएसटी लागू होने के बाद, सीजीएसटी नियमावली के नियम 96(2) के तहत आईजीएसटी की स्वीकृति के लिए आवश्यक शर्त है भारत से बाहर निर्यात किया जाने वाला माल और जब तक इसके लिए आईसीईएस में गेटवे ईजीएस दायर नहीं किए जाएंगे, तब तक धनवापसी की प्रक्रिया शुरू की जानी संभव नहीं है।

With the advent of GST, the essential condition for sanction of IGST under Rule 96(2) of the CGST Rules is *goods being exported out of India* and unless the gateway EGMs for the same are filed in the ICES, it is not possible to process the refunds.

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी नौवहन लाइनों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 अक्तूबर, 2017 तक अंतर्क्षेत्र कारगो के मामले में जुलाई, 2017 और इसके बाद प्रस्तुत किए गए मैनुअल ईजीएम के समरूप अनुपूरक ईजीएम आईसीईजीएटीई / सेवा केंद्र में दायर करें।

In light of the above, all Shipping Lines are directed to file **Supplementary EGMs** on the ICEGATE / Service Centre corresponding to the Manual EGMs submitted by them in the case of hinterland cargo for July, 2017 and onwards by the 31st October 2017.

5. बोर्ड द्वारा सूचित ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, सभी पणधारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसका संज्ञान लें और इसका अनुसरण करें।

Consequent to the above mentioned changes notified by the Board, all the stakeholders are required to take cognisance and comply with the same.

Sd/-

(एस. अनिलकुमार S. Anil Kumar)

अपर सीमाशुल्क आयुक्त Additional Commissioner of Customs

जारी Issued to: All concerned, as per mailing list.

F.No.S25/260/2017-I&B.Cus.

दिनांक Dated: 30 October 2017

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा **V Usha**)

अधीक्षक (आई एण्ड बी) Superintendent (I & B)

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to

- 1. The Chief Commissioner's Office
- 2. Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File & As per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes.